

## न्यायालय नायब तहसीलदार उप तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं

मु0 नं0	दायर दिनांक	अ.धा.	निर्णय दिनांक
14 / 2021	09.06.2021	91 एल.आर.एक्ट	11.08.2021

सरकार बनाम बनवारी वगै0 पुत्र मांगूराम जाति माली निवासी किशोरपुरा

11.08.2021 पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण संक्षिप्त में निम्न प्रकार से है कि पटवारी हल्का किशोरपुरा द्वारा संवत 2078 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि मौजा ग्राम किशोरपुरा पटवार हल्का किशोरपुरा के भूमि खसरा नं0 771 रकबा 0..06 है0 किस्म गै0मु0 नाला के सम्पूर्ण रकबे पर बनवारी, मखन, बागाराम पुत्र मांगूराम जाति माली निवासी किशोरपुरा ने छड़ी बाड़ व तार लगाकर अतिक्रमण किया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का किशोरपुरा के आधार पर प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को वास्ते तलबी एवं जवाब नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बागाराम व मखन द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली रखा गया। अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमित रकबे के कब्जे के सम्बन्ध में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये।

रिपोर्ट पटवारी हल्का, अप्रार्थी जवाब एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा मौजा ग्राम किशोरपुरा पटवार हल्का किशोरपुरा के भूमि भूमि खसरा नं0 771 रकबा 0..06 है0 किस्म गै0मु0 नाला के सम्पूर्ण रकबे पर अतिक्रमण अवैध होने के कारण अप्रार्थीगणों को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। भू0 अ0 नि0 चवंरा को इस अवैध अतिक्रमित भूमि पर से अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल कर फर्द बेदखली पेश करने हेतु लिखा जावे।

अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिए जाने के दण्ड स्वरूप सरह लगान 1.22 का 50 गुणा तावान की कुल राशि 61/- रु मात्र बतौर शास्ती जुर्माना आरोपित किये जाते हैं। पटवारी हल्का एवं तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा दिनांक 11.08.2021 को सुनाया गया।

नायब तहसीलदार, गुढागौड़जी